भू.अभि. /2025 / 394

श्रीमान उपख
दीगोद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

1.6.17 पत्रावली लोक अलदालत केम्प बमोरी में पेश हुई। प्रतिवादी नं0 1 गोपाल मजमे आम में उपस्थित, वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा 188 आरटीएक्ट के अन्तर्गत पेश किया है। जिसमें वादी नें ग्राम आमोरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 146 रकबा 0.41 हे0 एवं ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 301 रकबा 1.01 हे0 भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण चाही गई है। मजमे आम में प्रतिवादी नं0 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2011 की छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 301/1 रकबा 0.56 हे0 भूमि पर अमरलाल, श्याम सुन्दर मृतक का0मु0 देवकरण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है, जिसकी पालना में नामा0 सं0 262 दिनांक 26.09.2011 से उक्त निर्णय की पालना हो चुकी है तथा शेष रकबा 0.45 हे0 भूमि सिवाय चक दर्ज की जा चुकी है। वर्तमान में ख0नं0 301 वादीगण की खातेदारी भूमि नहीं है तथा उक्त ख0नं0 से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। ऐसी स्थिति में ख0नं0 301 पर वर्तमान में वादीगण के कोई अधिकार शेष नहीं होनें से स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। जबकि ख0नं0 146 वाके ग्राम आमोरा के वादीगण वर्तमान में अभिलिखित खातेदार की हैसियत रखते है। जिससे उक्त ख0नं0 पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जानें में प्रतिवादी नं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रतिवादी नं0 1 की सहमति के आधार पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 146 रकबा 0.41 हे0 भूमि से वादीगण को बैदखल नहीं करें एवं वादीगण के कब्जें काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजेम आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(लो.अ.दीगोद)

कोर्ट प्रति प्रमाणित

अधिकारी
(उप0 डी0 एम0) दी

50
13/2/20

1- वादिन पक्ष का क्रमांक व दिनांक
2- प्रतिभूति प्रस्तुत की राशि 2
3- प्रतिभूति बंध का दिनांक
को निष्पादन किया गया।
4- प्रतिभूति बंध तैयार होने की दिनांक 13/2/20
प्रतिभूति बंध जमा करने का दिनांक 13/2/20